भारत में कई **नदी घाटियां** हैं और इनमें से अधिकांश **एक से अधिक राज्यों में फैली हुई हैं, जिसके कारण राज्यों के बीच इनके जल के उपयोग और वितरण को लेकर संघर्ष** होता हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आज भारतीय संघवाद के **सबसे विवादास्पद मुद्दों** में से एक है और इसके लिए कई अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है, लेकिन प्रत्येक के अपने अलग मुद्दे थे। इस लेख में, हम **कावेरी जल विवाद** और इससे जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह UPSC की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।

कावेरी जल विवाद: पृष्ठभूमि; संवैधानिक प्रावधान; सर्वोच्च न्यायालय का फैसला; वाद-विषय और भविष्य की कार्यवाही

कावेरी जल विवाद क्या है?

कावेरी जल विवाद ब्रिटिश राज के बाद से **कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारा** को लेकर उत्पन्न विवाद है। दोनों राज्यों के कई जिले सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं, जबकि बेंगलुरु शहर को अधिकतर जल इसी नदी से प्राप्त होता है।

फरवरी 2018 के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा फरवरी 2007 में कावेरी जल में प्रदान की गई कर्नाटक की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया।

पृष्ठभूमि:

- इस मुद्दे को समझने के लिए हमें वर्ष 1892 में वापस जाना होगा। कावेरी जल बंटवारे का विवाद **वर्ष 1892 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत** के बीच शुरू हुआ क्योंकि दोनों क्षेत्र इस बात पर सहमत नहीं थे कि आपस में जल का विभाजन कैसे किया जाए?
- वर्ष 1986 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत इस मुद्दे को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करने की तमिलनाडु की अपील के बाद, केंद्र सरकार ने **वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT)** का गठन किया।
- **वर्ष 2007 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT)** ने इस पर फैसला सुनाया।
- तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ने न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 262 (1)** प्रदान करता है कि संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी से संबंधित किसी भी विवाद के निर्णय प्रदान कर सकती है।
- अनुच्छेद 262 (2) संसद को यह अधिकार देता है कि वह न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को इस तरह के विवादों या शिकायतों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग न करने दे।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 (IRWD अधिनियम, 1956) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित किया गया था।

- सातवीं अनुसूची:
    - राज्य सूची की प्रविष्टि 17: जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, अपवाह, जल भंडारण और जल शक्ति संघ सूची की प्रविष्टि 56 का विषय है।
    - संघ सूची की प्रविष्टि 56: अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास।

सर्वोच्च न्यायालय का वर्ष 2018 का निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल के बीच कावेरी जल के बंटवारे पर अपना फैसला सुनाया और **कावेरी को "राष्ट्रीय संपत्ति"** घोषित किया। न्यायालय ने तटवर्ती राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी जल की **समानता के सिद्धांत** का समर्थन किया।
- फैसले में यह निष्कर्ष निकाला गया कि **कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT)** ने तमिलनाडु के "प्रयोगाश्रित" 20 टीएमसी भूजल भंडार को ध्यान में नहीं रखा और **कर्नाटक "सीमांत राहत का हकदार"** है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु का कावेरी जल आवंटन कम करके कर्नाटक को दे दिया।
- इसका अर्थ है कि न्यायाधिकरण द्वारा तमिलनाडु को पहले दिए गए **192 टीएमसी कावेरी जल से 14.75 टीएमसी जल की कमी की गई** और यह कमी को बिलीगुंडलु क्षेत्र से समायोजित किया जाएगा। कर्नाटक केवल 177.25 टीएमसी कावेरी जल को बिलिगुंडलु क्षेत्र से तमिलनाडु के मेट्टूर बांध के लिए मुक्त करेगा।
- न्यायालय ने केंद्र को अंतिम फैसला लागू करने हेतु एक योजना बनाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया और **कावेरी प्रबंधन बोर्ड (CMB)** के गठन का निर्देश भी दिया, CMB एक अंतर्राज्यीय मंच होगा जो CWDT के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और जल संसाधन मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) के नियंत्रण में होगा।

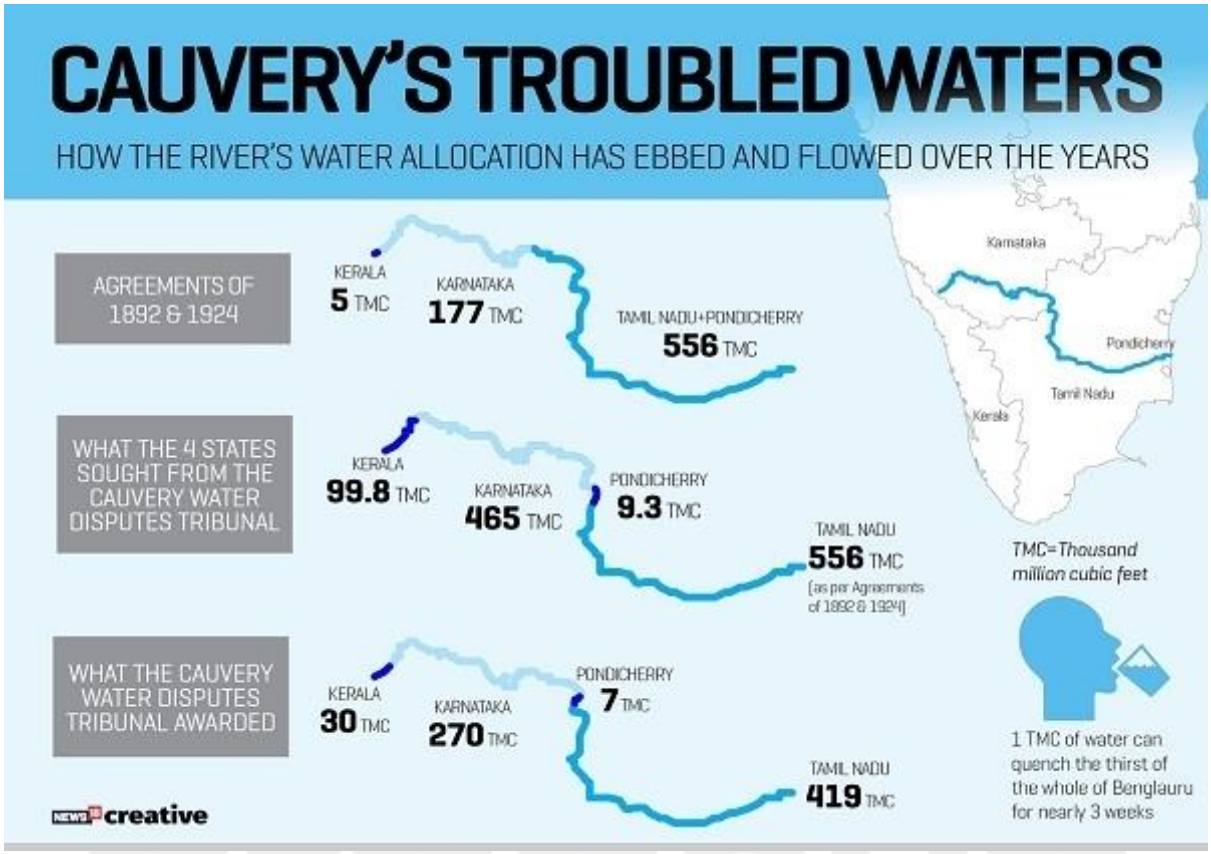

कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018:

केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) का गठन किया।

- CWMA एक स्थायी संस्था है और कावेरी जल विनियमन समिति की सहायता से मुक्त किए जाने वाले कावेरी जल को विनियमित और नियंत्रित करेगी।
- **CWRC** एक **तकनीकी शाखा** के रूप में कार्य करती है और यह समय-समय पर जल के स्तर, प्रवाह, भंडारण और छोड़े जाने वाले जल के संबंध में आंकड़े एकत्र करके अंतिम फैसले के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD अधिनियम):

- IRWD अधिनियम, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु न्यायाधिकरणों का गठन करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है।
- यह ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी वर्जित करता है।
- केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के तहत आठ न्यायाधिकरणों का गठन किया है।

वर्तमान अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के वाद-विषय:

- प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक अलग न्यायाधिकरण स्थापित करना होगा।
- ऐसे विवादों के समाधान प्रदान करने में देरी क्योंकि कावेरी और रावी ब्यास जैसे न्यायाधिकरण 30 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है।
- न्यायनिर्णयन की कोई समय सीमा नहीं है और देरी न्यायाधिकरणों के गठन के चरण पर भी होती है। न्यायाधिकरण के फैसले को लागू करने के लिए कोई सक्षम तंत्र नहीं है।
- इस तरह के विवादों को हल करने में एकसमान मानकों की कमी को लागू किया जा सकता है और मामले के तथ्यों का आकलन करने के लिए भौतिक और मानव दोनों के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है।
- अंतिम वाद-विषय जब न्यायाधिकरण किसी भी पक्ष के खिलाफ फैसला देता है, तो वह पक्ष उच्चतम न्यायालय में समाधान के लिए अपील कर सकता है। आठ न्यायाधिकरणों के फैसलों में से केवल तीन फैसले राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए थे।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019:

- केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष के अंदर (छह महीने तक संभावित विस्तार) वार्ता द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से विवाद का समाधान करने के लिए **विवाद समाधान समिति (DRC)** की स्थापना की जाएगी और समिति केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यदि DRC द्वारा विवाद का समाधान नहीं किया जाएगा, तो केंद्र सरकार इसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण में भेजेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा कई न्यायपीठों के साथ एक **एकल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना**। सभी मौजूदा न्यायाधिकरणों को भंग कर दिया जाएगा, और ऐसे मौजूदा न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित विवादों को नए न्यायाधिकरणों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- प्रस्तावित न्यायाधिकरण को **दो वर्ष की समय-सीमा** के अंदर विवाद पर अपना फैसला देना होगा, जिसे **एक वर्ष तक** बढ़ाया जा सकता है।
- न्यायाधिकरण का निर्णय **अंतिम और बाध्यकारी** होगा। विधेयक मूल अधिनियम में आधिकारिक राजपत्र में फैसले के प्रकाशन की आवश्यकता को भी समाप्त कर देगा। यह न्यायाधिकरण के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक योजना तैयार करने का आदेश भी देता है।
- प्रत्येक नदी घाटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **डेटा संग्रह और डेटाबैंक के रखरखाव** हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक एजेंसी नियुक्त और अधिकृत की जाएगी।

भविष्य की कार्यवाही:

- **नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना** जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी फैसले में किया, राज्यों की प्रवृत्ति को कम कर सकता है। **जल विवादों को राजनीतिक रंग देने से बचने** की जरूरत है और इसे क्षेत्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।
- **अंतर्राज्य परिषद (ISC)** संघर्षों को सुलझाने की दृष्टि से बातचीत और चर्चा को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

- जल को समवर्ती सूची में लाना जैसा कि मिहिर शाह रिपोर्ट में अनुशंसित किया गया था और जल संसाधन पर एक संसदीय स्थायी समिति ने इसका समर्थन किया था।
- एक ऐसी नीति लाकर **फसल प्रतिरूप का वैज्ञानिक प्रबंधन** करना जो कम जल खर्च में फसल उगाने और कम जल वाले क्षेत्रों में किस्मों को प्रोन्नत करे।
- **नदियों के अंत:सबंधन** से नदी घाटी क्षेत्रों में नदी जल के पर्याप्त वितरण में भी मदद मिल सकती है।
- न्यायपालिका का सहारा लिए बिना राज्यों के बीच जल विवाद को हल करने के लिए एक स्थायी तंत्र की आवश्यकता है।
- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को लागू करने से इस तरह के विवादों को हल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।
- SDG का छठा लक्ष्य (जल और स्वच्छता तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना) हासिल करने हेतु जल प्रबंधन के लिए **4R की अवधारणा** (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) का अभ्यास करें।
- राष्ट्रीय जल नीति का पालन करना जिसने जल के तर्कसंगत उपयोग और जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया। बेंगलुरु जैसे शहरों में शहरी जल प्रबंधन के लिए उचित सीवेज उपचार के साथ-साथ आर्द्रभूमि संरक्षण को शामिल करना चाहिए।